



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052026-272937
CG-DL-E-29052026-272937

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 371]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 27, 2026/ज्येष्ठ 6, 1948

No. 371]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 27, 2026/JYAISTHA 6, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2026

सा.का.नि. 412(अ).— महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उप-धारा 1(च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (पीएचआरडी प्रभाग), भारत सरकार की दिनांक 24 मार्च, 2023 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 217 (अ) के अधिक्रमण में, केन्द्र सरकार एतद्वारा श्री शाहीर खान, कार्यकारी अध्यक्ष, मुरगांव पत्तन एवं रेल कर्मचारी यूनियन को मुरगांव पत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में कर्मचारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तत्काल प्रभाव से सदस्य के रूप में नियुक्त करती है। बोर्ड के सदस्य की नियुक्ति, महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के प्रावधानों के अधीन होगी। यह नियुक्ति, चैक- ऑफ की वैधता की तारीख तक, अथवा सदस्यों की अधिवर्षिता की आयु पूरी होने तक, अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वैध होगी।

[फा. सं. एलबी-11013/1/2021-श्रम (भाग-1)]

संदीप गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS**(PHRD Division)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th May, 2026

G.S.R. 412(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section 1 (f) of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021 and in supersession of the Notification of the Government of India, Ministry of Ports, Shipping & Waterways (PHRD Division) G.S.R. No. 217 (E) dated 24th March, 2023, the Central Government hereby appoints Shri Shahir Khan, Working President, Mormugao Port & Railway Workers Union as Member representing the interests of employees on the Board of Mormugao Port Authority with immediate effect. The appointment of Member of the Board shall be subject to the provisions of the Major Port Authorities Act, 2021. The appointment is valid till the date of validity of check-off, or until the attainment of age of superannuation of the Members, or till further orders, whichever is earliest.

[F. No. LB-11013/1/2021-Labour- Part (1)]

SANDEEP GUPTA, Jt. Secy.